संख्या :क0नि0–5–446/11–2002–312(463)/2001

प्रेषक,

ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2002

विषयः– भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत राजस्व विभाग के तहसीलदार/लेखपाल द्वारा दाखिल खारिज के लिए उपनिबन्धक कार्यालय से भेजी गयी लेखपत्र की प्रतियों पर अनावश्यक स्टाम्प वाद प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या :क0सं0वि0–5–41 सी0एम0/11–98 दिनांक 20.06.1998 तथा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित आदेश संख्या 2007/12–18 एफ0आई0 95 दिनांक 20.03.1998 के अनुसार भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–34 एवं 35 के अन्तर्गत नामान्तरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है एवं समस्त उपनिबन्धकों को यह निर्देशित किया गया कि कृषि भूमि के विक्रय पत्र की एक प्रति विक्रय पत्र के पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरण के दिनांक को ही तहसीलदार को उपलब्ध करा दी जाये ताकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके।

2. कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश संख्या क0नि0–5–3792/ 11–2000 –500 (57) /99 दिनांक 07.07.2000 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कृषि भूमि के विक्रय पत्रों में पेड़, कुआं आदि का जो मूल्य लेखपत्र में दिखाया गया है उसे विक्रय मूल्य मान लिया जाये एवं स्थल निरीक्षण में विक्रीत कृषि भूमि पर पेड़, मेंड़, कुआँ आदि पाये जाने पर कमी स्टाम्प वाद न चलाया जाये।

3. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उपनिबंधक द्वारा जिन कृषि भूमि के लेखपत्रों को दाखिल खारिज हेतु भेजा जाता है, उन लेखपत्रों के आधार पर तहसीलदार एवं लेखपाल पक्षकार को बुलाकर इस बात के लिए परेशान करते हैं कि कमी स्टाम्प के लिए उनके लेखपत्र पर स्टाम्प वाद प्रारम्भ करने की रिपोर्ट इस आधार पर भेजी जा रही है कि विक्रय पत्र में पेड़, मेड़, कुआँ आदि लिखा है या नहीं लिखा है और इसका बाजार मूल्य कम आँगणित किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि यदि कृषि भूमि के विक्रय पत्र में सर्किल रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है तो ऐसे लेखपत्रों को पेड़ आदि होने के कारण बाजार मूल्य अवधारण हेतु सन्दर्भित न किया जाये। तहसीलदार को लेखपत्र को बाजार मूल्य हेतु उसी दशा में सन्दर्भित करना चाहिए जब लेखपत्र में कृषि भूमि दिखाई गई हो और मौके पर इसे

आबादी अथवा अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा रहा हो अथवा विक्रीत कृषि भूमि पर भवन निर्मित हो अथवा विक्रीत कृषि भूमि मुख्य सड़क पर हो, और लेखपत्र में कच्चा रोड, चकरोड दिखाया गया हो।

5. उपरोक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस लेखपत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(ललित श्रीवास्तव),
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–446/11–2002–312(463)/2001, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(ललित श्रीवास्तव),
प्रमुख सचिव।